कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 13-08-2024

विषय:- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल के निर्देशन में महिला सुरक्षा, संरक्षण व सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं की समस्याओं का निराकरण और जागरूकता हेतु बीट स्तर पर की गई गोष्ठी।

- **सीपी के निर्देशन में महिलाओं के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का निराकरण व विधिक प्रावधानों/योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी**
- **कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा कुल 174 स्थानों पर की गयी गोष्ठी**
- **महिला अधिकारियों व पुलिस कर्मियों द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत बीट क्षेत्र में की गई महिलाओं के साथ गोष्ठी**
- **प्रत्येक मंगलवार एवं बुधवार को महिला पुलिस कर्मियों द्वारा बीट क्षेत्र में की जायेगी गोष्ठी**

आज दिनांक 13.08.2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल के निर्देशन में महिला सुरक्षा, संरक्षण व महिला सशक्तिकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान जिसका उद्देश्य "**महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना व सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना है**" के तहत महिला उप निरीक्षक व महिला मुख्य आरक्षी/ आरक्षी द्वारा अपनी बीट क्षेत्र में जाकर महिलाओं के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुनकर नियमानुसार निराकरण कराते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर व महिला हितों से संबंधित विधिक प्रावधानों व सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। जिससे महिलायें अपनी अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और किसी भी प्रकार की असुरक्षा से निपट सकें।

महिला बीट कर्मियों द्वारा बैठकों के दौरान निम्नलिखित कार्य किये गये-

- **महिलाओं की समस्याओं का समाधान**
  - बीट स्तर पर महिलाओं के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना गया और नियमानुसार निराकरण किया गया

➢ **महिला सुरक्षा सम्बन्धित हेल्प लाईन नम्बर-**

- महिलाओं को विभिन्न महिला सुरक्षा हेल्पलाईन जैसे 1090(वूमेन पावर लाईन)/ 191(महिला हैल्प लाईन)/ 112 (आपातकालीन सहायता)/ 1098 (चाइल्ड हेल्प लाइन)/ 1930 (साइबर अपराध हेल्प लाइन) आदि के बारे में जानकारी दी गयी। जिससे किसी भी आपात स्थिति में वे इन सेवाओं का लाभ उठा सके।

➢ **कानूनी जागरूकता-**

- महिलाओं को उनकी अधिकारों और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बनाये गये कानूनों की जानकारी दी गयी जैसे- घरेलू हिंसा, कार्य स्थल पर उत्पीड़न और साइबर क्राइम से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान।

➢ **साइबर सुरक्षा जागरूकता-**

- साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत महिलाओं व बालिकाओं को इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक किया गया तथा साइबर उत्पीड़न से बचने के उपायों से अवगत कराया गया।

➢ **मिशन शक्ति अभियान की जानकारी-**

- महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्य, उसके तहत उपलब्ध सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया, जिससे वे आत्मनिर्भर व सशक्त बन सकें।

➢ **आत्म-रक्षा प्रशिक्षण-**

- महिलाओं और बालिकाओं को आत्म-रक्षा के महत्व के बारे में बताते हुए उन्हें सरल व प्रभावी आत्म-रक्षा तकनीकों का प्रदर्शन व प्रशिक्षण दिया गया ।

➢ **महिला सहायता केन्द्रों का प्रचार-**

- प्रत्येक थाने में महिला सहायता हेतु बनाये गये महिला हेल्प डेस्क के विषय में जानकारी दी गयी। जहां महिलायें बेझिझक अपनी समस्याओं को साझा कर उचित सहायता प्राप्त कर सकती है।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।

SRI AUROBINDO SOCIETY
श्रीअरविन्द सोसायटी
वाराणसी (UC 67)
www.aurosociety.org

SMART CLASS
BE S.M.A.R.T. !

COLORBAR
TOYPORT